भूतत्य एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।

संख्या :

/ज0या0सं0 17/2023/भू0खनि0ई0/2022-23

दिनांक 🍞 (मार्च 2023

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनिहत याचिका संख्या 17/2023 "रमेश लाल@रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :- 10. We also direct the State to publish the mining, as well as, dredging plans of all mining and dredging activities being undertaken in the State, on the official website of the State, so that the public at large can access the same. All such plans shall also be displayed, in the area of mining/dredging, on advertising sites/ unipoles, providing the contact details of all the members of the District Anti Illegal Mining Force. The State shall also create a portal, where all complaints about illegal mining and dredging can be lodged by the public at large, and the State shall create a system for redressing all such complaints expeditiously. Steps in this regard be taken before the next date, and compliance reported on affidavit before the next date"......

राज्य क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन /अवैध परिवहन /अवैध भण्डारण से सम्बन्धित जनसाधारण की शिकायतें प्राप्त किये जाने व उनके त्वरित निस्तारण हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल dgmappl.uk.gov.in में Complaint Redressal Portal तैयार होने तक उक्त से सम्बन्धित शिकायतों को श्री अनुज कपरवाण, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई०टी० सैल, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून, जिनका मोबाईल नम्बर 8192802320, है, पर मैसेज / वॉट्सऐप के माध्यम से दर्ज करते हुए उनका त्वरित निस्तारण किये जाने की अनुमित प्रदान की जाती है।

(एस०एल० पैट्रिक) निदेशक।

तद्दिनांकित।

संख्याः 5332/ज्ञा०सं० 17/2023/भू०खनि०ई०/2022-23 प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

3. नोडल अधिकारी, आई०टी० सैल, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।

5. श्री अनुज कपरवाण, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई०टी० सैल, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेपित कि राज्य क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण से सम्बन्धित जनसाधारण की प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

31/03/2023 (एस0एल0 पेट्रिक) निदेशक।